श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

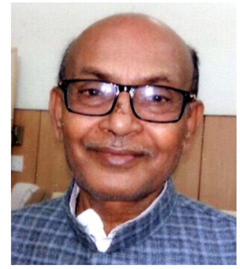

श्री कपिलदेव कामत
माननीय मंत्री

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19

वार्षिक कार्यक्रम 2019–20

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Budget 2024-25\Varshik prativedan all pdf\Varshik prativedan Panchayati Raj Department\2018-19\Varshik_Prativedan_2018-19.doc

प्रस्तावना

आम ग्रामीण जनता के लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिशचित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण एवं अभिवंचित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों के कार्यों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है। पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तरों से निधियाँ उपलब्ध करायी जा रही है, जिनसे पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ मूलभूत आवश्यकताओं के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतें प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी हैं। राज्य में चौदहवें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री अन्नकलश योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं विद्यालय शिक्षा समिति इत्यादि के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से दो महत्त्वपूर्ण निश्चयों यथा–हर घर नल का जल एवं ग्रामीण गली–नाली

पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्त्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। ग्राम पंचायतें इन योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड स्तर पर गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से करा रही है। इस हेतु बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 गठित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा ग्राम पंचायतों की सहायता से 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख से 20 लाख बढ़ा दी गई है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, नाली–गली निर्माण, जैसा की राज्य सरकार के सात निश्चय में शामिल है, एवं स्मार्ट पंचायत बनाने हेतु, क्षमतावर्द्धन, ई–गवर्नेंस, प्रशिक्षण, पंचायत सरकार भवन, जिला परिषद् भवन हेतु किया जा रहा है। सामाजिक प्रक्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों में योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशी और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। ग्राम पंचायत गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु पाँच वर्षीय और वार्षिक योजनाऐं विकसित करने, सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को अभिसारित कर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण कर कार्य योजना का निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की परिकल्पना की गई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायत के प्रतिनिधियों को लोकसेवक घोषित किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी डर के सम्यक रूप से कर सकें, इस हेतु उनसे संबंधित मामलों की जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु मानक प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े। पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण एवं पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण एवं मामलों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली बनायी गयी है। पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यों का संचालन समुचित रूप से कर सकें, इस हेतु बिहार पंचायत (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के प्रमुख/उप प्रमुख के प्रति अविश्वास

प्रस्ताव के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि पदावधि के प्रथम दो वर्षों के बाद उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर पूरी पदावधि में ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। इस प्रावधान से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचित प्रमुखों/उप प्रमुखों को बार–बार अस्थिर करने के प्रयास विफल कर दिये गये हैं। प्रतिनिधियों/कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं इस कार्य के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिनव प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र तथा जिला मुख्यालयों में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई–मिशन मोड लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी पंचायतों के लेखा, योजनाओं एवं कार्यों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है। इस हेतु सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक कार्यपालक सहायक तथा प्रखण्ड स्तर पर एक कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है। पंचायत स्तर पर लेखा के संधारण हेतु प्रत्येक चार पंचायत पर एक लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक की नियुक्ति की जा रही है एवं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निर्माण किये जा रहे अधिसंचरना में तेजी लाने हेतु प्रत्येक चार पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की नियुक्ति की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए तथा अभिनव प्रयोगों को लागू करने हेतु एक स्वतंत्र बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की कारगर ढंग से साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2012–2019 की यह परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। इस परियोजना द्वारा चयनित जिलों में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) के माध्यम से कुल 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या–2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को हर स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (मासिक) भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को एक लाख रूपये से बढ़ाकर पाँच लाख रूपये कर दी गयी है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से उन्हें परिचय पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी के निर्वाचित सरपंच, उपसरपंच, न्यायमित्र, ग्राम कचहरी सचिव के प्रशिक्षण एवं कार्यक्षमता वर्धन हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालयमें

एक पीठ का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकाारी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य जारी है। नोटिस, आदि का तामिला सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चौकीदारों की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था के प्रमुख हैं। ग्राम कचहरी सचिवों को देय मानदेय की राशि ₹2000.00 से बढ़ाकर ₹6000.00 प्रतिमाह तथा न्यायमित्रों को देय नियत फीस ₹2500.00 को बढ़ाकर ₹7000.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।

कहने का अर्थ यह है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में सतत् प्रयासरत है।

शुभकामनाओं सहित,

(श्री कपिलदेव कामत)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 534 पंचायत समितियाँ, 8386 ग्राम पंचायतें एवं 8386 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 में कुल ₹275500.00 लाख (सताईस अरब पचपन करोड़ रुपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में कुल ₹945130.76 लाख (चौरानवें अरब इक्कयावन करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. चौदहवाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल ₹18916.05 करोड (एक सौ नवासी अरब सोलह करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्षवार निम्नरूपेण कर्णांकित की गई हैः–

(राशि–करोड़ रूपये में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
बुनियादी अनुदान	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05
निष्पादन अनुदान		412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78
कुल	**2269.18**	**3554.23**	**4096.8**	**4729.38**	**6368.25**	**21017.83**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹4199.71 करोड़ (इकतालीस अरब निन्यानवें करोड़ इकहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को PFMS Portal के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की कंडिका 9.56 में यह अनुशंसा है कि बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं, यथा जलापूर्त्ति (Water Supply), स्वच्छता जिसके अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन(Sanitation including septage menagement) सहित मल व्यवस्था (Sewerage), वर्षा जल की निकासी (Storm water drainage) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management) भी शामिल है, सड़कों पर रोशनी (Street lighting), स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpaths), उद्यानों (Parks), खेल के मैदानों, कब्रिस्तान और श्मशान के सुदृढ़ीकरण तथा रख–रखाव पर किया जायेगा। विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को देय बुनियादी अनुदान के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को अपने निजी आय में वृद्धि एवं संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अद्यतन प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कार्य निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित अनिवार्य शर्त्त/अहर्त्ता प्राप्त की जानेवाली निम्न् शर्तो के अधीन क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) की राशि प्राप्त किये जाने हेतु अहर्त्ता निर्धारित की गईः–

<u>वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित अहर्त्ताः–</u>

"Submission of audited accounts and increase in Own Source Revenue (OSR) as prescribed by FFC, with the maximum cap of 5 times of the basic grant allocation for the GPs for FY 2017-18."

<u>वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं आगामी वर्षो के लिए निर्धारित अहर्त्ताः–</u>

"The FFC PG scheme for FY 2018-19 onwards to Gram Panchayats (GPs) would have two additional factors for evaluation, namely, Open Defecation Free (ODF) status and Child Immunization Status apart from the conditions prescribed for FY 2017-18, namely, submission of audited accounts and increase in Own Source Revenue (OSR) as prescribed by FFC, with the maximum cap of 5 times the basic Grant allocation for the GPs.

The evaluation of these factors of ODF and Child Immunization Status are to be done with respect to their achievement by the Gram Panchayats by the last day of the previous year to the FY of claim. For example, for the claim year of FY 2018-19, these staus should have been obtained fully by 31st March, 2018 and so on. These also have to be evaluated in respect of the GPs as 'Yes' or 'No' only."

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल **₹6368.25 करोड़ (तिरेसठ अरब अड़सठ करोड़ पचीस लाख रूपये)** मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से

ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशित और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्णित कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार की जा रही है। इस क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक (वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20) और तत्काल दो वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना का ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-II (मिशन अंत्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण कर बनाई जा रही है। अब इसकी कार्य योजना ''सबकी योजना सबका विकास'' के नाम से पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही अन्य विभागों, यथाः समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि, से संबंधित वार्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सूचनाएं संग्रहित करने की भी कार्रवाई की जा रही है।

4. पंचम राज्य वित्त आयोग

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में राशि उपलब्ध कराई जाती हैः–

(क) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि :– पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि का उपयोग स्व–राजस्व (कर एवं कर से भिन्न) की वृद्धि**,** आंतरिक अंकेक्षण एवं ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण ग्राम सभा, वार्ड सभा, स्थायी समिति, सामाजिक अंकेक्षण के सुदृढ़ीकरण पर, मौजूदा सेवा एवं आधारभूत संरचना के ऑपरेशन एवं रख–रखाव, अगर किसी खास अनुदान के घटक के लिए राशि पर्याप्त नहीं है तो पूरक अनुदान के रूप में, पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, नाली–गली की पुरानी सुविधाओं में बदलाव एवं इनका निर्माण, BRGF एवं RGPSA की वैसी अपूर्ण योजनाएँ जिनकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक है एवं राशि के आभाव में इन्हें पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, को पूर्ण करने आदि में किया जा रहा है।

प्रतिनिधायन (Devolution) मद में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 10% उपर्युक्त कंडिका के अनुरूप तथा 90% सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत 7 निश्चयों में पंचायती राज विभाग से संबंधित दो निश्चयों यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय

योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रतिनिधायन मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹1357.16 करोड़ (तेरह अरब सत्तावन करोड़ सोलह लाख रूपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्न प्रकार आवंटित की गई है:–

क्र०	निकाय	राशि(करोड़ में)
1	ग्राम पंचायत	₹950.00
2	पंचायत समिति	₹135.72
3	जिला परिषद्	₹271.44
कुल		**₹1357.16**

(ख) अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि : पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग क्षमतावर्द्धन यथा मैनपावर, प्रशिक्षण, ई–गवर्नेंस, कार्यालय की जगह, जिला परिषद् कर्मियों के बकाया वेतन, ग्राम कचहरी के कार्यालय सहायता, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के भवन निर्माण, अंकेक्षण शुल्क आदि हेतु किया जा रहा है। इसके अलावा, अनुदान की राशि से पंचायत समिति, जिला परिषद् के कार्यालय भवन एवं जिला परिषद् के डांक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रख–रखाव, फर्नीचर, IT Enablement एवं आधुनिकीकरण के कार्य भी अनुदान मद की राशि से किये जा सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान (Grant) मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹1243.43 करोड़ (बारह अरब तियालीस करोड़ तियालीस लाख रूपये) मात्र की राशि पंचायती राज संस्थानों को निम्न प्रकार आवंटित की गई है:–

क्र०सं०	निकाय / कार्यालय		राशि(करोड़ में)
1	ग्राम पंचायत		₹679.31
2	पंचायत समिति		₹115.64
3	जिला परिषद् (अनुदान एवं बकाया वेतन)		₹266.29
4	ग्राम कचहरी		₹41.93
5	जिला पंचायत कार्यालय	(i) ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक का मानदेय	₹130.26
		(i) अंकेक्षण शुल्क	₹10.00
कुल			**₹1243.43**

ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि विभाग द्वारा PFMS Portal के माध्यम से उनके बैंक खाते में अंतरित कराई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल **₹2626.22 करोड़ (छब्बीस अरब छब्बीस करोड़ बाईस लाख रूपये)** मात्र की राशि का बजटीय उपबंध है।

5. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण)

विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर के सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2012–2019 की बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

इस परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं :–

<u>अवयव–1– पंचायत सरकार भवन</u>

(क) **<u>पंचायत सरकार भवन :–</u>** इस परियोजना अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण बिहार सरकार द्वारा पूर्व के स्वीकृत डिजाईन के अनुसार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाना है।

(ख) **<u>नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनयुक्त पंचायतों को क्रियाशील करना</u>**

राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील बनाया जाना है। जिसमें पर्याप्त संख्या में मानव बल (पंचायत सचिव, लेखापाल, डाटा इंट्री ऑपरेटर, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत रोजगार सेवक) उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार

टेबल, कुर्सी, पंखा, अलमीरा, फाइल कैबिनेट, कम्प्यूटर, प्रिटंर, यू0पी0एस0 तथा स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियाशील पंचायतों के सभी 6 स्थायी समितियों का गठन किया जाना है ताकि उनके द्वारा संवैधानिक दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।

अवयव–2

पंचायतों का क्षमतावर्द्धन

परियोजना के इस अवयव में अब संस्थागत क्षमतावर्द्धन के तहत् ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक क्षमता निर्माण, वित्तीय प्रबंधन आदि क्षेत्रों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उनके कर्मियों का क्षमतावर्द्धन किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं अन्य सुसंगत नियम एवं कानून की जानकारी हेतु लगातार प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि पंचायत स्तर पर बेहतर ढ़ग से योजनाओं का सूत्रण एवं प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर पर उन योजनाओं का समेकीकरण हो सके। पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से एक्सपोजर विजिट कराकर उनके व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि की जायेगी। जन जागरूकता के लिए जन संचार एवं लोक संचार माध्यमों से परियोजना के सभी 12 जिलों में जागरूकता संबंधित अभियान चलाया जायेगा। पूर्व प्रस्तावित विकासात्मक क्षमतावर्द्धन यथा– पेयजल, स्वच्छता, पोषण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के व्यापक क्रियान्वयन के स्थान पर पेयजल एवं स्वच्छता में केवल ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के मानक स्थापित करने का प्रावधान किया जायेगा।

अवयव–3

शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन

पूर्व प्रस्तावित प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों को अवयव 2 के अंतर्गत समाहित करते हुए इस अवयव का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यरूप (Regulatory framework) का सुदृढ़ीकरण करना होगा। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :–

(i) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विभिन्न पंचायत नियमावली तैयार कराई जायेंगी।

(ii) ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण हेतु नियमावली एवं हस्तक तैयार कराया जायेगा।

(iii) ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्यव्यापी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। परियोजना जिले के सभी 3186 ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण कराया जायेगा।

(iv) ग्राम पंचायतों के लिये लेखा संधारण में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सूचना प्राद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जायेगा। इस निमित्त "Gram Panchayat Management System" तैयार किया जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹230.00 करोड़ (दो अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

6. मुख्यमंत्री निश्चय योजना

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल कर जलापूर्त्ति की जायेगी। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम

पंचायतों को भेजा जा रहा है। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है। मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार की गई है। निश्चय योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के रोकथाम हेतु उच्च स्तरिय बैठक द्वारा दिशा–निर्देश में संशोधन किये गये हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टयों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होन के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर ही भुगतान की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में 24208 वार्डों में पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख घरों को शुद्ध नल का जल मिल पा रहा है। वर्ष 2019 में इस कार्यक्रम को अत्यधिक गति दी जा रही है, ताकि पेयजल की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति दिसम्बर, 2019 तक लक्ष्य पूर्ण हो सके।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः– इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिग परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जाड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। अब तक 57661 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹192500.00 लाख (उन्नीस अरब पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन के दृष्टिकोण से **''राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान''** केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष

2013–14 से बिहार राज्य से लागु की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2015–16 हेतु RGPSA को केन्द्र सहायता सूची से Delist कर दिया गया था, किन्तु माह जुलाई, 2015 में पुनः कुछ प्रस्तावित मदों के अंतर्गत इस योजना को संचालित रखने के लिए निदेश पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। माह 24 अप्रैल 2018 से योजना का नाम परिवर्तित कर ''**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना**'' किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण, मानव संसाधन सूचना प्राद्यौगिकी सूविधा के सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, ढांचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 126.000 करोड़ बजट की राशि अनुमोदित की गई है। राशि प्राप्त होने पर निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जायेगा।

(क) प्रशिक्षण इकाई (Capacity Building & Training)– इस इकाई के तहत दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। GPDP से संबंधित प्रथम चरण एवं GPDP के अतिरिक्त अन्य विषय पर राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। उल्लिखित सभी 8386 ग्राम पंचायतों को GPDP निर्मित करने हेतु Handholding Support के लिए राशि आवंटित की जायेगी। क्षमतावर्द्धन इकाई में कुल 80.05 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री विभाग द्वारा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी पटना के सहयोग से तैयार किया जायेगा।

(ख) संस्थानिक अधोसंरचना (Institutional Structure)– राज्य स्तरीय पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) के निर्माण हेतु प्रक्रिया एवं भवन निर्माण से पूर्व उक्त केन्द्र हेतु वैकल्पिक भवन को तलाश करने की प्रक्रिया प्रारंभ है।

राज्य के 9 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यालय संचालित है। शेष 29 जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, DPRC संचालन हेतु उपयुक्त सरकारी भवन का चयन कर नामित करेंगे। सभी जिलों के गठित/नामित DPRC के Recurring Cost के लिए सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। उक्त राशि का व्यय DPRC हेतु फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, अलमीरा, आदि अन्य उपस्कर के क्रय में किया जायेगा। इस इकाई में कुल 4.2 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

(ग) पंचायत भवन सपोर्ट– 117 पंचायत भवनों के मरम्मती के लिए 4.68 करोड़ एवं CSC Co-location के लिए 13.64 करोड़ का बजट अनुमोदित है। इस प्रकार पंचायत भवन सपोर्ट इकाई में कुल 18.32 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

(घ) ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहयोग (Technical Support)– प्रखंडों को तकनीकी सहयोग हेतु उपलब्ध करायी गई राशि का उपयोग तकनीकी सहायक एवं प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु किया जायेगा। 207 प्रखंडों में तकनीकी सहयोग हेतु प्रति माह 50 हजार की दर से 12.42 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

(ङ) e- Enablement – Computer & Accessories इकाई में प्रावधानित राशि का 38 जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ग्राम पंचायत की संख्या के अनुपात में उपलब्ध करायी जायेगी। इस इकाई में कुल **3.05 करोड़** राशि का बजट अनुमोदित किया गया है।

(च) IEC Activity– IEC के लिए (कुल बजट का 2%) 2.36 करोड़ राशि का बजट अनुमोदित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रचार–प्रसार हेतु IEC Campaign की रणनिति राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्य किया जाना है। ग्राम सभा मे सक्रिय भागीदारी तथा आम जन में ग्राम सभा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

(छ) Programme Management Unit – PMU के लिए (कुल बजट का 5%) 5.90 करोड़ के बजट की अनुमति दी गई। राज्य स्तर पर ई–पंचायत हेतु SPMU तथा जिला स्तर पर DPMU के गठन हेतु राशि का प्रावधान है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश मद में कुल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

8. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9221 दिनांक 19.11.2014 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जा रहा था। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 9026 दिनांक 30.10.2017 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पंद्रह लाख रू0 तक

5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पंद्रह लाख रू0 तक

विभागीय ज्ञापांक–9026 दिनांक–30.10.2017 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की गई है एवं पूर्व के शेष प्रावधान यथावत् रखे गये हैं।

9. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3466 दि० 11.06.2013 द्वारा दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दैनिक भत्ता, विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के दावों की प्रमाणिकता निर्धारित करने में जिला स्तर पर कठिनाई होती है एवं उनके लिए सही–सही यह आकलन करना मुश्किल होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को विहित भत्तों के भुगतान हेतु वस्तुतः कितनी राशि की आवश्यकता है। फलस्वरूप जिलों से प्रखण्डों को उक्त मद में राशि आवंटित करने में कठिनाई तो होती ही है, आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी काफी विलंब हो जाता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹35000.00 लाख (तीन अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

10. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन

वर्ष 2017–18 में उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं –

(क) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

11. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xvii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

12. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(क) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं

पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। पुनः जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आनुसार विभागीय पत्रांक 8215 दिनांक 30.12.2016 द्वारा पंचायत सचिव की 1590 अतिरिक्त रिक्त पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयेग, पटना को भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) पंचायत सचिव से प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कुल स्वीकृत पद के 25% पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 45(पैंतालीस) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(घ) विभागीय पत्रांक 4298 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा 133 (एक सौ तैतीस) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित है। उक्त रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पुनः विभागीय पत्रांक 3473 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा 14(चौदह) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित है।

(ड़) बिहार पंचायत सेवा का पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303(तीन सौ तीन) पदों के सृजन (प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी–188, व्याख्याता मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान–58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्–38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान–19) की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(च) बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक(पंचायती राज) के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी(पंचायती राज) के 174, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 41 एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 01 अर्थात कुल 589 (पाँच सौ नवासी) पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(छ) विभाग के नियंत्राणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग(भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2018 का गठन किया जा चुका है। तद्नुसार पदों का सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

14. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) **विभाग (मुख्यालय) स्तर पर** :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – संयुक्त सचिव

(2) **जिला परिषद् स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

15. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 (मार्च, 2019 तक)

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	443	443	0
2	प्रथम अपील	12	12	0
3	द्वितीय अपील	47	40	7
4	अंतरण	832	832	0
5	निगेटिव	97	97	0
कुल योग :–		**1334**	**1327**	**7**

16. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। तत्काल ₹1213.37 करोड़ (बारह अरब तेरह करोड़ सैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि से 1435 (एक हजार चार सौ पैतीस) पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान में 1401 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव प्राप्त है जिनमें से 1078 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 95 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–35 के बजट शीर्ष में कुल ₹15000.00 लाख (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 द्वारा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की दर से राज्य में शेष बचे 6621 [8386–(1435+330)] पंचायतों में से कुल 1435 पंचायत सरकार भवन बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त हो रहे तकनीकी सहायकों के तकनीकी पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित कराया जायेगा। साथ ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–16 के बजट शीर्ष में कुल ₹25000.00 लाख (दो अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

17. अंकेक्षण

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2017 में आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी का अंकेक्षण कार्य हेतु योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों की नियुक्ति की गयी। इन चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों को 8386 ग्राम पंचायत, 8386 ग्राम कचहरी, 534 पंचायत समितियों तथा 38 जिला परिषद का वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का अंकेक्षण कार्य सौंपा गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अबतक 7682 ग्राम पंचायत, 7749 ग्राम कचहरी, 427 पंचायत समितियों तथा 27 जिला परिषद का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हुआ है।

राज्य स्तर पर इन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के कार्यो की समीक्षा, पर्यवेक्षण, जिला से प्राप्त प्रतिवेदन का राज्य स्तर पर समेकन, आपत्तियों का अनुपालन तथा अन्य अंकेक्षण से संबंधित कार्य हेतु वर्ष 2018 में विभाग द्वारा State Level Audit and Financial Management Consultant की नियुक्ति हेतु में RFP (Request For Proposal) जारी किया गया है। इस हेतु 09 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से प्राप्त Technical Proposal का Evaluation करने के उपरांत 03 योग्य फर्मों का Financial Proposal खोला गया। Least Cost Mathod के आधार पर मेसर्स पाण्डेय एण्ड कम्पनी का चयन किया गया है। नियुक्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

18. उपलब्धि

(क) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा/हिंसात्मक घटना/दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये) से बढ़ाकर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम–8(1) के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव को नियत मानदेय की राशि

₹2000.00 (दो हजार रूपये) से बढ़ाकर ₹6000.00 (छह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है। मानदेय की यह राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रभावी है।

(ग) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के आधार पर नियोजित किया गया है। उन्हें देय नियत फीस को ₹2500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये) से बढ़ाकर ₹7000.00 (सात हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः 4458.50 लाख (चौवालीस करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र एवं ₹717.24 लाख (सात करोड़ सतरह लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः ₹7500.00 लाख (पिचहत्तर करोड़ रूपये) मात्र एवं ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(ड.) बिहार पंचायत निर्वाचन संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में ₹20000.00 (बीस हजार रूपये), पंचायत समिति के सदस्य की दशा में ₹30000.00 (तीस हजार रूपये), पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में ₹40000.00 (चालीस हजार रूपये), जिला परिषद् के सदस्य की दशा में ₹100000.00 (एक लाख रूपये) से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत से सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला परिषद् के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन पर उपगत नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(च) सीवान जिला अन्तर्गत पूर्व से गठित तीन प्रखण्डों, यथाः नौतन, हसनपुरा और जीरादेई, के लिए तीन पंचायत समितियों बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–34 के अधीन क्रमशः नौतन पंचायत समिति, हसनपुरा पंचायत समिति एवं जीरादेई पंचायत समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार पंचायत समितियों की कुल संख्या 531 से बढ़कर 534 हो गयी है।

(छ) विभागीय स्तर से योजना के गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन एवं दीर्घकालीन अनुश्रवण व्यवस्था हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग स्तर पर कुल 2096 तकनीकी सहायक एवं 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के पदों पर सभी जिलों में नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिससे विभागीय समयबद्ध रिर्पोटिंग एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

(ज) विभाग एवं जिला स्तर पर योजनाओं के निरिक्षण हेतु SPMU एवं DPMU का गठन किया गया है एवं उनके नियोजन प्रक्रियाधीन है।

(झ) वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कुल ₹40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ञ) **पंचायत पुरस्कार, 2018**– मूल्यांकन वर्ष 2016–17 के आधार पर पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए जबलपुर में पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखण्ड अंतर्गत भरथीपुर ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	534
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8386
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8386
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	114691
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8386
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11497
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1161
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	114691
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8386
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	3635
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	4751
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6947
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट–2

राज्य स्कीम

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2019–20 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)		
1	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹192500.00
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹35000.00
3	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण	₹25000.00
4	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹2400.00
5	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹7500.00
6	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹1000.00
7	बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी को अनुदान	₹4000.00
8	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	₹1000.00
10	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को पुरस्कार	₹500.00
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	₹4500.00
12	अनुग्रह अनुदान	₹100.00
13	जिला पंचायत स्थापना	₹2000.00
14	**कुल (क्र०–1 से 13 तक)**	**₹275500.00** **(सताईस अरब पचपन करोड़ रुपये) मात्र**
मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)		
15	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹15000.00
16	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹20600.00
17	**कुल (क्र०–15+16)**	**₹35600.00** **(तीन अरब छप्पन करोड़ रुपये) मात्र**
मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)		
18	विभाग का आधुनिकीकरण	₹300.00 **(तीन करोड़ रुपये) मात्र**
19	**कुल (क्र०–18 का)**	₹300.00 **(तीन करोड़ रुपये) मात्र**
20	**सकल कुल (क्र०–14+17+19) :–**	**₹311400.00** **(इक्कतीस अरब चौदह करोड़ रुपये) मात्र**

परिशिष्ट–3

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2019–20 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 44402.28
2.	चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 636825.00
3.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 262622.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन		
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 317.07
5.	पंचायत निर्वाचन	₹ 750.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
6.	स्थापना	₹ 214.41
	कुल :–	**₹ 945130.76**
		चौरनवें अरब इक्कयावन करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र

वित्तीय वर्ष वर्ष 2019–20 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

₹275500.00 + ₹945130.76 = ₹1220630.76 लाख

(एक सौ बाईस अरब छह करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र)

पंचायती राज विभाग

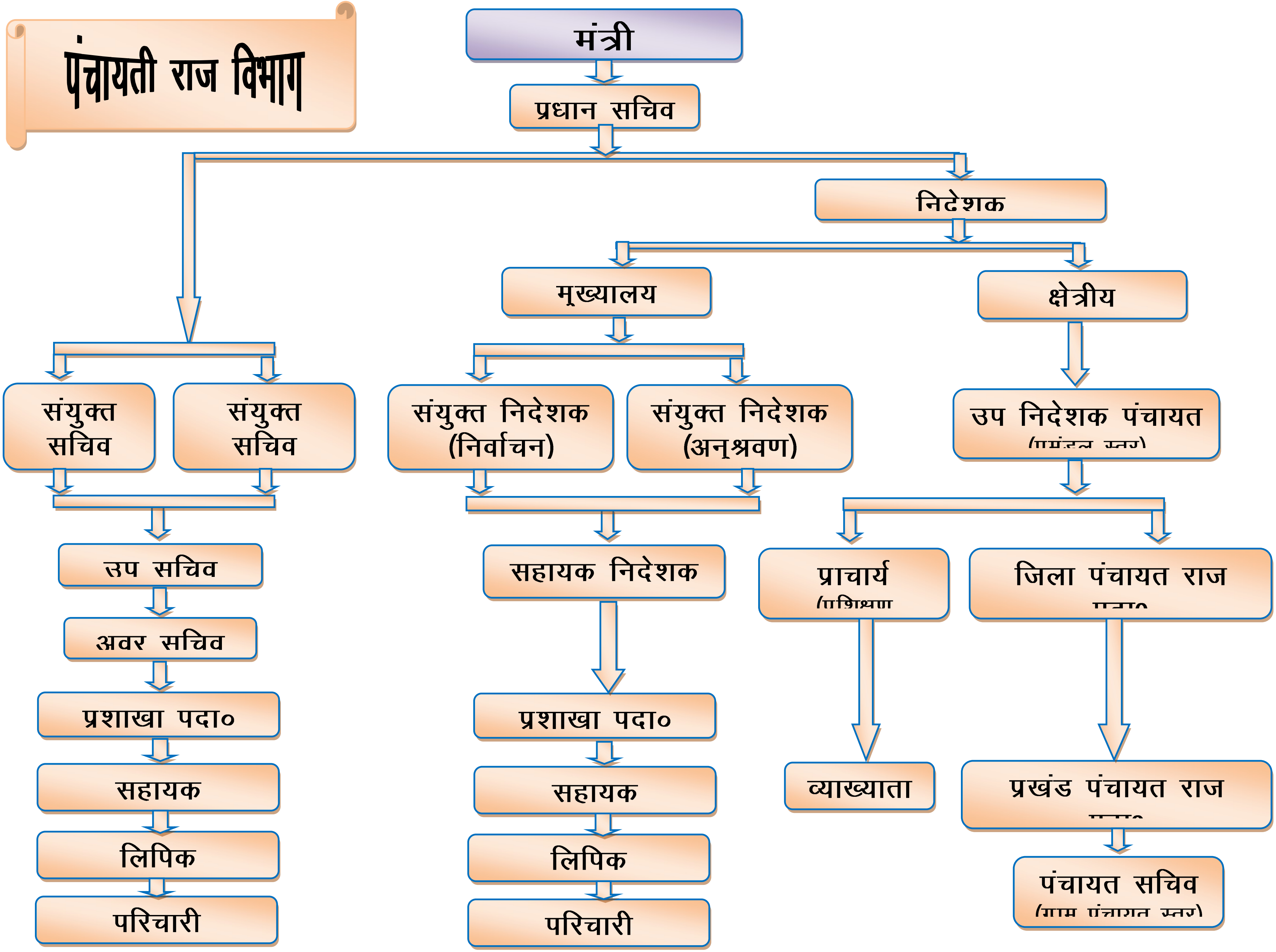
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
जिला पंचायत राज
व्याख्याता
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0	
2	निदेशक	1	1	0	
3	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव	1	1	0	
4	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव	1	1	0	
5	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव	1	1	0	
6	उप सचिव	2	1	1	
7	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	1	0	
8	सहायक निदेशक	1	0	1	
9	अवर सचिव	2	0	2	
10	उप राज्य आयोजक	1	0	1	
11	योजना पदाधिकारी	1	0	1	
12	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1	
13	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1	
14	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1	0	
15	प्रशाखा पदाधिकारी	11	7	4	
16	सहायक	44	16	28	
17	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500)(संविदा पर)	1	0	1	
18	प्रधान आप्त सचिव	1	0	0	
19	आप्त सचिव	1	2	0	
20	निजी सहायक	2	0	2	
21	आशुलिपिक	2	1	1	
22	सचिव के सचिव	1	0	1	
23	उच्चवर्गीय लिपिक	8	4	4	
24	निम्नवर्गीय लिपिक	12	2	10	
			3		क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त।
25	लेखापाल	1	0	1	
26	रोकड़पाल	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पर एक निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत।
27	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	2	2	0	
28	प्रधान अनुदेशक	1	0	1	
29	कलाकार–सह–संगणक	1	0	1	
30	वाद्य अनुदेशक	1	0	1	
31	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	37		आउटसोर्सिंग/बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजन।
32	चालक	2	0	2	
			5		बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना से पांच चालक की सेवा संविदा पर प्राप्त।

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत / सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
33	ट्रेजरी सरकार	1	0	1	
34	कार्यालय परिचारी	18	9	9	
35	आई०टी० ब्याय / गर्ल (संविदा पर)	-	13		आउटसोर्सिंग / बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजित।

नोट :— क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 37 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग